न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 32/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

मैसर्स हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी नेहा कुमावत
रजिस्टर्ड कार्यालय– 27ए, डवलप्ड इन्डस्ट्रियल एस्टेट, गुईन्डी, चेन्नई–600032
शाखा कार्यालय-- 21/22, ऊपरी भूतल, जयपुर इलेक्ट्रेनिक मार्केट बिल्डिंग, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर–302018

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **जगदीश गुर्जर पुत्र सुरजा राम**
   पता–वार्ड नं. 3, घाटा गुवार, दीपावास, सीकर, राजस्थान–332705
   अन्य पता–पट्टा नम्बर 66, ग्राम घाटा, ग्राम पंचायत दीपावास, पंचायत समिति अजीतगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332705
2. **बोदी देवी पत्नी सुरजा राम**
   पता–तहसील नीम का थाना, घाटा गुवार, गणेश्वर, सीकर, राजस्थान–332705
   अन्य पता–पट्टा नम्बर 86, पट्टा नम्बर 66, ग्राम घाटा, ग्राम पंचायत दीपावास, पंचायत समिति अजीतगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332705

–अप्रार्थीगण (ऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

आदेश

दिनांकः– 24 मार्च, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री योगेन्द्र सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **जगदीश गुर्जर पुत्र सुरजा राम** एवं **बोदी देवी पत्नी सुरजा राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **बोदी देवी पत्नी सुरजा राम** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 66, ग्राम घाटा, ग्राम पंचायत दीपावास, पंचायत समिति**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अजीतगढ़, जिला सीकर, राजस्थान–332705 में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 172 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्वयं की खाली जगह के बाद रास्ता, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में खाली जगह एवं दक्षिण दिशा में बनवारी लाल का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **₹6,00,000/–(अक्षरे रूपये छः लाख)** एवं **₹53,200/– रूपये (अक्षरे रूपये तिरेपन हजार दो सौ) कुल ₹6,53,200/– रूपये (अक्षरे रूपये छः लाख तिरेपन हजार दो सौ)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.08.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.08.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **जगदीश गुर्जर पुत्र सुरजा राम** एवं **बोदी देवी पत्नी सुरजा राम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

अप्रार्थी **बोदी देवी पत्नी सुरजा राम** के स्वामित्व की बंधक सम्पति **पट्टा नम्बर 66, ग्राम घाटा, ग्राम पंचायत दीपावास, पंचायत समिति अजीतगढ़, जिला** सीकर, **राजस्थान–332705** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 172 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में स्वयं की खाली जगह के बाद रास्ता, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में खाली जगह एवं दक्षिण दिशा में बनवारी लाल का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **24 मार्च, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर